5/17 आज पत्रावली पेश हुई। वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पास्ते तलबी
दि. 18.5.17 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस तलबी दि. 5.10.17 को पेश हो तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महवा

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को कई बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। तलबाना सम्मन भी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी एवं डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त० अदाई निषेधाज्ञा दि० 20.6.12 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो व शामिल मूल बाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, महवा